–एक सौ बारह–

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या–क0नि0–5–1444/11–2010–500(32)/2001

लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 74 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (अड़तालिसवॉं संशोधन) नियमावली, 2010		
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (अड़तालिसवां संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।
	(2)	यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 151 का संशोधन	2. संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 151 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (क) में उप खण्ड (चार) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उप खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(iv) प्रत्येक डाकघर जहां पत्रों को प्रेषित करने हेतु प्राप्त किया जाता है, का प्रभारी अधिकारी (10 पैसे अभिधान के चिपकाऊ रसीदी टिकट के विक्रय के लिए)	(चार) प्रत्येक डाकघर जहां पत्रों को प्रेषित करने हेतु प्राप्त किया जाता है, का प्रभारी अधिकारी (1 रूपये अभिधान के आसंजक रसीदी टिकट के विक्रय के लिए)

नियम 161 का संशोधन	3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 161 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
161. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता जो नकद मूल्य अदा करके राजकीय कोषागार से गैर न्यायिक स्टाम्प क्रय करता है, स्टाम्पों पर अंकित मूल्य का 1 प्रतिशत छूट प्राप्त करेगा। यदि अनुमन्य छूट 1 रूपये के भाग में हो तो ऐसा भाग जो निकटतम 5 पैसे के गुणांक से कम हो उपेक्षित कर दिया जायेगा। परन्तु कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। (क) ऐसे किसी स्टाम्प पर जो क्रेता द्वारा स्वयं आपूर्ति किया गया हो। (ख) जब तक कि क्रय किये गये स्टाम्पों का कुल मूल्य एक बार में 5 रूपये से कम न हो।	161(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता जो नकद मूल्य अदा करके राजकीय कोषागार से गैर न्यायिक स्टाम्प क्रय करता है, स्टाम्पों पर अंकित मूल्य का 1 प्रतिशत छूट प्राप्त करेगा। यदि अनुज्ञेय छूट 1 रूपये के भाग में हो तो ऐसे किसी भाग जो निकटतम 5 पैसे के न्यूनतम गुणांक से कम हो को छोड़ दिया जायेगा : परन्तु कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी यदि , (क) किसी स्टाम्प पर जिसकी पूर्ति स्वयं क्रेता द्वारा प्रस्तुत किसी सामग्री पर किया गया हो य (ख) जब तक कि एक बार में अन्यून 5 रूपये के संकलित मूल्य के स्टाम्प क्रय न किये जायं य (ग) केवल एक रूपये के किसी भाग पर य

(ग) मात्र 1 रूपये के किसी भाग पर। (घ) आसंजक रसीदी टिकट क्रय किये जाने पर।	और, (घ) आसंजक रसीदी टिकट क्रय किये जाने पर।
	(2) भारत सरकार के अधीन कार्यरत प्रत्येक डाकघर जो नकद मूल्य देकर आसंजक रसीदी टिकट क्रय करता है, रसीदी टिकट के अंकित मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करेगा। छूट की धनराशि समान धनराशि के रसीदी स्टाम्प के रूप में संदत्त की जायेगी।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–1444 (1)/11–2010–500(32)/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे दिनांक 09 अप्रैल, 2010 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड–(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें,, तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियॉ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियॉ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव

संख्या–क0नि0–5–1444(2) /11–2010–500(32)/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निदेशक (पी0ओ0), संचार मंत्रालय, डाक विभाग, भारत सरकार, डाक भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

(3) चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश परिमण्डल, हजरतगंज लखनऊ।

(4) महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही कृपया उन्हें यह भी निर्देशित करें कि सम्बन्धित जनपद के उप निबन्धकों को भी इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।

(5) निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, 1018 जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीगण को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश शासन।

(10) विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

(11) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(12) सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।

(13) गार्ड फाइल, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिवष

KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG -5

In pursuance of the provisions of clause (3) Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.K.N.5-1444 /XI-2010-500(32)/ 2001, dated April 09 , 2010.

Notification

No.K.N.5-1444 /XI-2010-500(32)/2001

Lucknow, Dated April 09, 2010

In exercise of the powers under section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the United Provinces Stamp Rules, 1942:-

The Uttar Pradesh Stamp (Forty-eighth Amendment) Rules, 2010		
Short title and commencement	**1.**(1)	These rules may be called the Uttar Pradesh Stamp (Forty-eighth Amendment) Rules, 2010
	(2)	They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 151	**2.** In the United Provinces Stamp Rules, 1942, hereinafter referred to as said rules, in rule 151, in clause (a) for sub-clause (iv) set out in column-I below, the sub-clause as set out in column-II shall be substituted, namely:-

Column-I	**Column-II**

Existing sub-clause	*Sub- clause as hereby substituted*
(iv) the Officer-in-charge of every Post Office at which letters are received for dispatch (for the sale of adhesive revenue stamps of ten naye paise denomination only)	(iv) the Officer-in-charge of every Post Office at which letters are received for dispatch (for the sale of adhesive revenue stamps of one rupee denomination only)

Amendment of rule 161	**3.** In the said rules for rule 161 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be substituted namely:-

Column-I	**Column-II**
Existing rule	***Rule as hereby substituted***
161. Every licenced vendor who purchases non-judicial stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re. 1.00 percent of the face value of the stamps. If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored : Provided that no discount shall be allowed : (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself ; (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time ;	161(1) Every licenced vendor who purchases non-judicial stamps from the Government treasury by payment of ready money shall receive the same at a discount of Re. 1.00 percent of the face value of the stamps. If the discount permissible contains a fraction of a rupee, any such fraction, in excess of the nearest lower multiple of five paise shall be ignored : Provided that no discount shall be allowed : (a) on any stamps supplied on any material furnished by the purchaser himself ; (b) unless stamps of an aggregate value of not less than Rs. 5 are purchased at one time ; (c) on the fraction of only one rupee ; and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.

(c) on the fraction of only one rupee ; and (d) on account of purchase of adhesive revenue stamps.	
	(2) Every post office working under the Government of India, who purchases adhesive Revenue stamps by payment of ready money, shall receive the same at a discount of ten percent of the face value of the Revenue Stamp. The amount of discount shall be paid in the form of revenue stamp of an equal amount.

By order,

Sd/- Illegible

(DESH DEEPAK VERMA)

Pramukh Sachiv.